अतारांकित प्रश्न सं0 3905

लोक सभा

(19.4.2005 को उत्तर के लिए)

राजभाषा नियम

श्री ब्रजेश पाठक

गृह राज्य मंत्री (श्री माणिक राव एच. गावीत)

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा नियमों के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को हिंदी में भेजे गए पत्रों का उत्तर हिंदी में देना अपेक्षित होता है ;

(क) जी, हाँ ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 में दी गई व्यवस्था के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय द्वारा हिंदी में दिए जाएंगे ;

(ग) क्या राजभाषा नियमों का मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुपालन किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) तथा (घ) संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1967 (अधिसूचित 18 जनवरी, 1968) के अनुदेशों की अनुपालना में संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें विभिन्न मदों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । इन लक्ष्यों की उपलब्धि वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्शाई जाती है । इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2003-04 की मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 22.03.2005 को लोकसभा पटल पर रखी गयी थी ।

(ड़) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को राजभाषा नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं जहां कुछ मंत्रालयों/विभागों ने हिंदी पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में भेजा है ;

(ड़) जी, हाँ ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान राजभाषा नियमों के उल्लंघन से संबंधित इस तरह की दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनके बारे में संबंधित मंत्रालयों/विभागों को पत्र भेजे गए और उनसे अनुरोध किया गया कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएं ।

(छ) सरकार द्वारा राजभाषा नियमों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

(छ) राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 में दी गई व्यवस्था के अनुसार राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के उपबंधों तथा राजभाषा नीति संबंधी आदेशों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रत्येक केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान को सौंपी गई है।

इसी परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 23.12.2000 को मंत्रालयों को एक पत्र जारी किया गया जिसमें राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा इन प्रावधानों की उपेक्षा करने वाले अधिकारियों को लिखित परामर्श देकर भविष्य में इस प्रवृत्ति से बचने का निदेश दिया गया है ।